२४९३ 4/11/2015	जावे। तहसीलदार कोटकासिम को पालना हेतु अहकाम जारी हो। आयन्दा पत्रावली दिनांक 5/1/2016 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
फि० 1153 लो डिग्री ना अमल लिया जा चुका है	5/1/16 बकुराय फरीकेन उप./श्रीमान P.O. सहाब दीगर राज कार्य मे व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16-2-16 को उनके समक्ष पेश हो। रीडर
	16/2/16 वास्ते ... पालना डिग्री रिपोर्ट पत्रा. 26-4-16 को पेश हो।
	26/4/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 6/6/16 को पेश हो।
	6-6-16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट रामपुर ... में पेश हुई। डिग्री की पालना में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार डिग्री की पालना इन्तकाल सं. 1153 दर्ज होकर कार्यवाही हो चुकी है। पत्रा. में कोई पालना अवशेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल कर दी जाती है पत्रा. नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में खोलकर सुनाया गया।

प्रमाणित छाया प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दावा दायरी दिनांक	निर्णय दिनांक
92/2013	07/05/2013	28.11.2015

अनुवान

1. बिमला पत्नि गिर्राजप्रसाद पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
2. संगीता पत्नि प्रेम शर्मा पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

:–वादियागण

बनाम

1. लिक्ष्मी बेवाह स्व0 मोलड जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर।
2. वेदू पुत्र स्व0 मोलड पुत्र स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर।
3. सुभाष पुत्र स्व0 मोलड़
3/1 पवि्त्रा बेवा सुभाष जाति ब्राह्मणनिवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर।
3/2 रोहित पुत्र सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर।
4. दिनेश पुत्र सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर।
5. राजस्थान सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर।
6. उपपंजीयक तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:–प्रतिवादीगण

राजस्व दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

उपस्थित:–
1. श्रीयशपाल गोठवाल अधिवक्ता वादियागण

For Copying Fees Only

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इन्द्राज दुरुस्ती मय हुकमईम्तनाई दवामी इस न्यायालय में पेश किया कि आराजी खसरा नं0 374 रकबा 0–14 हैक्ट0 , 375 रकबा 0–15 हैक्ट0, 376 रकबा 0–07 हैक्ट0, 369 रकबा 1–13 हैक्ट0 , 600 रकबा 2–05 हैक्ट0 व खसरा नं0 377 रकबा 3–02 हैक्ट0 ग्राम मूनपुर ठाकरान कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है जो दावे में विवादित आराजी है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 एक ही खानदान के सदस्य है जिनके बुजुर्ग पिता मोलड थे और जिनका स्वर्गवात 1984 में हो चुका है। मोलड की म्रत्यु के बाद उनके पुत्रान सुभाष वेदु दिनेश व दो पुत्रीयां वादीगण बिमला व संगीता व विधवा पत्नि लक्ष्मी है जो उनके कानुनी वारिसान है विवादित आराजी खसरा नं0 374 रकबा 0–14, हैक्टर 375 रकबा 0–15 हैक्टर, 376 रकबा 0–07 हैक्टर, 369 रकबा 1–13 हैक्टर, 600 रकबा 2–05 हैक्टर कुल किला 5 में से 1/4 हिस्सा मृतक मोलड था व खसरा नं0 377 रकबा 3:02 हैक्टर में से मृतक मोलड का 2/3 में से 1/4 हिस्सा था। मोलड के स्वर्गवास होने के बाद स्वर्गीय मोलड की आराजी मे से वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 प्रत्येक 1/6 हिस्से के काश्तकार खातेदार थे व इसी प्रकार इन्तकाल विरासत मे हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 ने राजस्व कर्मचारियान से साजबाज होकर प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 ने तन्हा अपने नाम इन्तकाल दर्ज करा लिया व इन्तकाल के बाद बनायी जाने वाली जमाबन्दीयों में भी अपने नाम का इन्द्राज करा लिया कि जो इन्तकाल व जमाबन्दीयों का इन्द्राज बमुकाबले बातिल व बेसर है व वादीगण कानुनन उक्त गलत इन्द्राजात को दुरुस्त कराकर स्वर्गीय मोलड की आराजी में सें 1/6 , 1/6 हिस्से का इन्द्राज कराने की अधिकारी है। वादीगण का भी अपने पिता की आराजी मे हिस्सा है व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8(1)के अनुसार वादीगण अपने पिता स्वर्गीय मोलड की कानूनी वारिस है। वादीगण का अपने पिता की आराजी में प्रत्येक का 1/6 ,1/6 हिस्सा है। इन्तकाल व विरासत व जमाबन्दीयों में उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से उसके आराजी के हक हकूक जायल होते है कि जिससे वादीयागण इन्तकाल विरासत व उसके बाद की जमाबन्दीयों में जो गलत इन्द्राज चला आरहा है को दुरुस्त कराने की अधिकारी है। वादीयागण के पिता मोलड की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के इन्तकाल विरासत में हम वादीगण के हकूक खत्म करने की नियत वो गर्ज से अपने नाम का इन्तकाल करा लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

For Copying Fees Only

Scanned by CamScanner

4 अब तक शामलात में काश्त करते रहै हैं लेकिन अब दिनांकः 5/9/2008 को जब वादीगण अपने 1/6 –1/6 हिस्से की आराजी में जोत लगाने गई तो प्रतिवादीगण ने उनको आराजी में जोत लगाने से मना कर दिया व वादीगण ने उनको आराजी को रहन बय आदि के मुन्तकिल वो मकफूल करने की धमकी दी। जिस पर वादीगण ने तहसील कार्यालय में रिकार्ड का अवलोकन किया तो मालुम हुआ कि प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 ने उनके स्वर्गीय पिता मोलड की आराजी का इन्तकाल अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। वादीगण अपने पिता की आराजी में से हिस्सा अनुसार प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है जिस हेतु दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण सं0 1लागायत 4 ने, जब वादीगण अपने हिस्से की आराजी में जोत लगाने गई तो उनको जोत लगाने से मना कर दिया तथा ऐलानिया तोर पर धमकी दी कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की आराजी पर जबरन स्वयं काश्त करेगें व वादीगण को काश्त नही करने देगें व वादीगण के हिस्से की आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन आदि के जरिये मुन्तकिल वो मकफूल कर देगें। जिससे दावा करना लाजिम आया । वादीगण की दावा हाजा के लिएक बिनायदावी बरोज दर्ज कराने इन्तकाल विरासत व बिनाय मुखासमत दिनांकः–5/9/2008 को पेदा हुई जिससे दावा हाजा मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। पक्षकार सं0 5 तहसीलदार साहब लेन्ड होल्डर है कि जो आवश्यक पक्षकार हैं इसलिऐ उन्हे पक्षकार बनाया गया है अपितु उनके विरुद्व कोई दादरसी नही चाही गई है। प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 हम वादीगण के 1/6 ,1/6 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा, रहनामा आदि के जरिये मुन्तकिल करने पर उतारु हैं इसलिऐ उप पंजीयक महोदय कोटकासिम को पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा (1) डिक्री बाबत इस्तकरार हक मशवरे इसके कि वादीगण आराजी खसरा नं0 374 रकबा 0–14 हैक्टर , 375 रकबा 0–15 हैक्टर, 376 रकबा 0–07 हैक्टर, 369 रकबा 1–13 हैक्टर, 600 रकबा 2–05 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा में से 1/6, 1/6 हिस्सा व खसरा नं0 377 रकबा 3–02 हैक्टर दर 2/3 में से 1/4 हिस्सा में से 1/6 ,1/6 हिस्से वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम की काबिज काश्तकार व खातेदार हैं बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 सादिर फरमाई जाये। (2) डिक्री बाबत दुरुस्ती इन्द्राज मशवरे इसके कि प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 ने वादीगण के पिता स्व0 मोलड की म्रत्यु पर जो तन्हा अपने नाम का इन्तकाल विरासत दर्ज कराया है वह निरस्तनीय है व इन्तकाल विरासत के बाद की जमाबन्दीयों में जो तन्हा प्रतिवादीगण सं0 1 लागायत 4 के हक मे दर्ज

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विवादित आराजी में कानूनन वारिस हकदार है। अतः वादियागण का 1/6 – 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

मेरे द्वारा वादियागण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में पेश शुदा दस्तावेजात तथा साक्ष्यवादी शपथ पत्र को गौर किया गया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2039 में मौल्हड विवादित आराजियात के खाता संख्या 109 में 1/4 हिस्से व खाता संख्या 110 में 2/3 में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसकी मृत्यु वादपत्र के अनुसार वर्ष 1984 में हो जाने पर उसकी विरासत का इन्तकाल संख्या 223 वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान प्रतिवादीगण 1 से 4 के नाम दर्ज किया गया। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रति0 1 से 4 के नाम अमल हुआ। जबकि मुताबिक शजरा वारिसान मोल्हड मृतक वादियागण भी उसकी सम्पति में प्रथम श्रेणी की वारिसान की सूची के सदस्य हैं। अतः प्रतिवादीगण 1 से 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अमल हुआ है। जिसे वादियागण दुरुस्त कराने की अधिकारिणी है। अतः वादियागण को विवादित आराजियात में 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वादियागण का वाद डिग्री किया जाता है। आराजी खसरा नं0 374 रकबा 0–14 हैक्टर , 375 रकबा 0–15 हैक्टर, 376 रकबा 0–07 हैक्टर, 369 रकबा 1–13 हैक्टर, 600 रकबा 2–05 हैक्टर में से में लिक्ष्मी बेवा मोल्हड, वेदू, सुभाष, दिनेश पुत्रान मोल्हड समभाग 1/4 के स्थान पर लिक्ष्मी बेवा व वेदू, दिनेश पुत्रान मोल्हड समभाग 1/4 में 1/2, पवित्रा बेवा व रोहित पुत्र सुभाष समभाग 1/4 में 1/6 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर व बिमला पत्नि गिर्राजप्रसाद पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)1/4 में 1/6, संगीता पत्नि प्रेम शर्मा पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रामबास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) 1/4 में 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 377 रकबा 3–02 हैक्टर दर 2/3 में 1/4 हिस्सा में से लिक्ष्मी बेवा व वेदू, दिनेश पुत्रान मोल्हड 1/2 समभाग, पवित्रा बेवा व रोहित पुत्र सुभाष समभाग 1/6 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खानपुर अहीर तह0 कोटकासिम जिला अलवर व बिमला पत्नि गिर्राजप्रसाद पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) 1/6, संगीता पत्नि प्रेम

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

सत्यापित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

शर्मा पुत्री स्व0 मोलड़ निवासी ग्राम रामबास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। प्रतिवादीगण 1 से 4 को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादियागण के हिस्से में किसी भी प्रकार की रुकावट, मजाहमत व मदाखलत एवं मुन्तकिल ना करें।

निर्णय आज दिनांक 28|11|2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम

For Copying Fees Only